संख्या-1759/26-4-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी, 2023

विषयः प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 में रिक्त स्थानों में प्रवेश दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3870/स0क0/ए0टी0एस0/प्रवेश-पत्र-11/2022-23 दिनांक 06.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षा सत्र 2022-23 में प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 में रिक्त स्थानों में प्रवेश दिये जाने हेतु शसनादेश संख्या-141/2015/5068/26-3-2015 दिनांक 23.11.2015 द्वारा इन विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा कराये जाने हेतु निर्गत मार्गदर्शी सिद्वान्तों एवं उक्त शासनादेश के समय सारणी के प्रस्तार-2,2 में प्रवेश परीक्षा कराये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्ततर्गत जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के 85 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र के 15 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जिसमें 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये प्रवेश की व्यवस्था है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-114/2015/आर-110/बी0आई0पी0/26-3-2015-246 सी0 एम0/2015, दिनांक 06.10.2015 द्वारा समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों (पूर्वनाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) को नवोदय विद्यालय पैटर्न पर संचालित किये जाने तथा इन्हें सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्व किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा शासनादेश संख्या-141/2015/5068/26-3-2015 दिनांक 23.11.2015 द्वारा इन विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा कराये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्वान्त जारी किये गये है।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रवेश हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत बिन्दुओं पर राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैः-

(1) जनपद स्तर पर प्रवेश परीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में/मुख्य विकास अधिकारी की सहअध्यक्षता में गठित बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिले स्तर के अधिकारी भी शामिल किये जायेंगे।

(2) प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों का निर्माण एवं परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन सम्बन्धित जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से कराया जायेगा।

(3) सम्पूर्ण प्रवेश परीक्षा में प्रश्नपत्र तैयार कराने तथा परीक्षा का पूर्ण नियंत्रण जिलाधिकारी द्वारा निर्वहन किया जायेगा तथापि अपरिहार्य परिस्थितियों में सह अध्यक्ष अर्थात मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यों का निर्वहन किया जायेगा।

(4) प्रश्नपत्र की गुणवत्ता, मानक, प्रेषण तथा रख-रखाव सहित सम्पूर्ण परीक्षा हेतु व्यवस्था शासनादेश दिनांक 23.11.2015 में निहित मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप ही रहेगी व उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव अनुमन्य नही होगा।

(5) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8 एवं 9 में रिक्त स्थानों में प्रवेश हेतु जनपद स्तर पर समिति के माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराकर प्रवेश करा लिये जायेंगे।

(6) कक्षा 6, 7 में कुल छात्र क्षमता 70 होगी तथा 35-35 छात्र क्षमता के दो अलग-अलग सेक्शन होंगे।

(7) कक्षा 11 में रिक्त सीटों पर प्रवेश का आधार कक्षा 10 में प्राप्तांको पर आधारित मेरिट लिस्ट तैयार कर उक्तानुसार प्रवेश कराये जायेंगे। कक्षा 11 में कुल छात्रों की अधिकतम प्रवेशित क्षमता 40 छात्र-छात्रायें होगी।

(8) प्रवेश परीक्षा हेतु निम्नवत समय-सारणी के अनुसार प्रस्तावित हैः-

क्र0सं0	प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम	दिनांक
1	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विद्यालय में कक्षावार रिक्त सीटों के सापेक्ष विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	28.02.2023
2	आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	15.03.2023
3	परीक्षणोंपरान्त पात्र आवेदकों की सूची प्रकाशन तिथि	20.03.2023
4	प्रवेश परीक्षा आयोजन की तिथि	27.03.2023
5	सफल छात्रों की सूची का प्रकाशन एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ	31.03.2023

वर्ष 2023-24 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में कक्षा 06 , 07, 08, 09 एवं 11 में रिक्त स्थानों के सापेक्ष प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित है। शिक्षा सत्र 2023-24 दिनांक 01.04.2023 से प्रारम्भ हो रहा है। गतवर्ष की भाँति जनपद स्तर पर प्रवेश हेतु गठित समिति निम्नवत होगी:-

1.	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	- अध्यक्ष
2.	मण्डलीय उप निदेशक , समाज कल्याण	- सदस्य
3.	जिला विद्यालय निरीक्षक	- सदस्य
4.	प्राचार्य , जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	- सदस्य
5.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	- सदस्य
6.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	- सदस्य/सचिव
7.	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	- सदस्य
8.	संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/अधीक्षक	- सदस्य

4- जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित 09 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय स्तरीय समिति के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के उपरान्त सीटे रिक्त रह जाने की दशा में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सोनहा खीरी में प्रवेश परीक्षा से वंचित रह गये पात्र छात्र/छात्राओं को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाय।

5- उपर्युक्तानुसार प्रवेश हेतु स्थानीय समाचार पत्रों/जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से कार्यक्रम तैयार कराकर प्रवेश परीक्षा करायी जाय। जिसमें स्थानीय छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों को योजना समुचित जानकारी प्राप्त हो सके और वह उसका लाभ प्राप्त कर सकें।

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by रजनीश चन्द्र
(रजनीश चन्द्र)
Date: 13-02-2023 10:48:54
विशेष सचिव
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0मंत्री जी, समाज कल्याण उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण/जिला समाज कल्याण अधिकारी/प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या– C-4601 / स0क0 / ए0टी0एस0 / प्रवे0परी0–11 / 2022–23

लखनऊ : दिनांकः 21 फरवरी, 2023

उपरोक्त शासनादेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, जनजाति विकास विभाग, महानगर, लखनऊ
3– समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त सम्बन्धित संयुक्त / उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित कार्यक्रम नियमानुसार पूर्ण कराकर अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5– समस्त प्रभारी प्रधानाचार्य, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6– गार्ड फाइल।

(पवन कुमार)
निदेशक।